न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – **श्री ब्रजेश कुमार मंगल (आर0ए0एस0)**

उनवान

मुन्ना **बनाम** गोविन्द बंसल

1. मुन्ना पुत्र नन्दराम
2. शान्ती पत्नी बद्री
3. महेन्द्र } पुत्रगण
4. नवलसिंह } बद्री
5. रघुवीर }
6. मुन्नी बेबा अमरसिंह
7. उत्तम पुत्र अमरसिंह
8. नैहनू पुत्र अमरसिंह

} जातिगण कुशवाह निवासीगण मौहल्ला हौद कस्वा बाडी तह0 बाडी

वादीगण :–

बनाम

1. गोविन्द बंसल पुत्र जगदीश प्रसाद बंसल जाति बैश्य निवासी मौहल्ला बजरिया तह0 व जिला धौलपुर

प्रतिवादी :–

2. रामकली उर्फ कलीवती पुत्री नन्दराम पत्नी रमुजी जाति कुशवाह निवासी ग्राम हंसपुरा तह0 सैंपऊ
3. लौहरी पुत्री नन्दराम पत्नी वासदेव जाति कुशवाह निवासी ग्राम हंसपुरा तह0 सैंपऊ
4. बैजन्ती पुत्री नन्दराम पत्नी वासदेव जाति कुशवाह निवासी ग्राम हुसैनपुरा तह0 बाडी
5. डाक्टरनी उर्फ रामबेटी पुत्री नन्दराम पत्नली रामगोपाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम आदमपुर तह0 बाडी
6. पुनिया उर्फ कमलादेवी पुत्री नन्दराम पत्नी गजसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बीघा का पुरा तह0 सैंपऊ
7. रामबाई पुत्री बद्री
8. रामा पुत्री बद्री
9. लक्ष्मी } पुत्रीगण
10. मीना } अमरसिंह
11. सुनीता }

} जातिगण कुशवाह निवासीगण हौद की पार कस्वा बाडी तह0 बाडी

12. तहसीलदार बाडी बहैसियत लैण्डहोल्डर

तरतीवी प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीगण के वकील – श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर एड0

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0 अधि0

दिनांक :– 12.02.2020

दावा सं. 94/2016

निर्णय

वादीगण द्वारा उक्त उनवान का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

आराजी ख0नं0 4684 रकवा 05 विस्वा बांके कस्वा बाडी नं0 2 तह0 बाडी जिला धौलपुर में स्थित है। इस प्रकरण में विवाद केवल विवादित आराजी के खातेदार किशनलाल के 1/4 हिस्से पर है। 3/4 भाग के वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 सं0 2 लगा0 11 खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार किशनलाल, गौरीशंकर, जगदीश प्रसाद, रामस्वरूप पुत्रगण जगमोहनलाल कौम बैश्य निवासी कस्वा बाडी थे। विवादित आराजी सम्पूर्ण का एक वयनामा पूर्व खातेदार गौरीशंकर, जगदीश प्रसाद, रामस्वरूप ने प्रति0 के पूर्वज नन्दराम पुत्र नथुआ को दिनांक 10.09.1986 को कर दिया और मौके पर कब्जा सौंप दिया। दिनांक 10.09.1986 को जब पूर्व खातेदार द्वारा विवादित आराजी सम्पूर्ण का वयनामा प्रति0 के पूर्वज नन्दराम को किया था, उस समय पूर्व खातेदार किशनलाल पुत्र जगमोहन की मृत्यु हो चुकी थी और किशनलाल ने अपने सम्पूर्ण हिस्से की वसीयत अपने सगे भाई जगदीश प्रसाद के हक में कर दी। इस वजह से विवादित आराजी सम्पूर्ण का वसनामा प्रति0 के पूर्वज नन्दराम के हक में हुआ था। पूर्व खातेदार किशनलाल की मृत्यु लाऔलाद होने तथा किशनलाल द्वारा अपने हिस्से की वसीयत अपने भाई जगदीश प्रसद को करने के कारण विवादित आराजी सम्पूर्ण के विक्रेतागण गौरीशंकर, जगदीश प्रसाद, रामस्वरूप खातेदार काश्तकार हुए, यानि विवादित आराजी में 1/2 भाग के गौरीशंकर, व रामस्वरूप तथा शेष 1/2 भाग के जगदीश प्रसाद खातेदार काश्तकार हुआ। दिनांक 10.09.1986 के वयनामा के आधार पर जो दाखिला खारिज सं0 3403 खोला गया वह पटवारी हल्का ने विवादित आराजी के 3/4 भाग का ही खोला गया है। किशनलाल के 1/4 भाग का दाखिला खारिज पटवारी हल्का ने खोलने से मना कर दिया। क्योंकि किशनलाल द्वारा जगदीश प्रसाद के हक में की गई वसीयत का दाखिला खारिज जगदीश के नाम नहीं हुआ है। खरीददारी के दिवस से विवादित आराजी के सम्पूर्ण भाग पर प्रति0 के पूर्वज नन्दराम काबिज रहकर काश्त करता रहा तथा नन्दराम की मृत्यु के बाद उसके वारिसान काबिज चले आ रहे है। दिनांक 25.08.2016 को जब वादीगण अपनी उक्त आराजी में खडी फसल की देखभाल कर रहा था कि तभी प्रति0 सं0 1 वादीगण के पास आया और वादीगण को धमकी दी कि विवादित आराजी में मेरा 1/4 हिस्सा है और मैं अपने 1/4 हिस्से को लेकर रहूंगा तथा तुम्हें विवादित आराजी के 1/4 हिस्से से बेदखल करके रहूंगा। अगर तुमने विवादित आराजी का कब्जा नहीं छोडा तो मैं विवादित आराजी को किसी लट्ठ वाले व्यक्ति को बेच दूंगा और मैं विवादित आराजी के 1/4 भाग का दाखिला खारिज अपने नाम कराऊंगा। विवादित आराजी में किशनलाल के 1/4 हिस्से में वादी सं0 1 व तरतीवी प्रति0 सं0 2 लगा0 6 हिस्सा 1/12, वादी सं0 6 लगा0 8 तथा प्रति0 सं0 9 लगा0 11 हिस्सा 1/12 व वादी सं0 2 लगा0 5 तथा प्रति0 सं0 7 व 8 हिस्सा 1/12 के खातेदार काश्तकार व मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। उपरोक्त हालातों में वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे दावा दायर कर अपने अधिकारों की घोषणा करावे तथा प्रति0 सं0 1 को पावन्द करावे।

धिकारी
पुर0 राज0

इस प्रकार दावा प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया कि :–
यह घोषित किया जावे कि विवादित आराजी में वादीगण व तरतीवी प्रति0 वादपत्र की मद संख्या 12 में दर्शाये हिस्सों के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रति0 सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वे वादीगण व तरतीवी प्रति0 के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें। राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तरतीवी प्रति0 सं0 2 लगा0 11 स्वंय उपस्थित न्यायालय आये तथा प्रति0 सं0 1 वावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आया। अतः प्रति0 सं0 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ExP 1 नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, ExP 2 असल वयनामा दिनांकित 10.09.1986 पेश की तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में Pw 1 मुन्ना, Pw 2 राधे, Pw 3 दिवाकर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

बहस एक पक्षीय वकील वादीगण समाअत की गई। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत ExP 2 असल वयनामा तारीखी 10.09.1986 में प्रति0 सं0 1 के पिता जगदीश प्रसाद के साथ–साथ गौरीशंकर व रास्वरूप द्वारा वादीगण के पूर्वज नन्दराम को आराजी ख0नं0 4684/0–05 बांके कस्वा बाडी नं0 2 तह0 बाडी सम्पूर्ण को बेचान किया गया है। उक्त वयनामा की मद सं0 11 से 15 में विक्रतागण ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि "इस हमारे खेत में हमारे बडे भाई किशनलाल का नाम भी लिखा हुआ है। परन्तु हमारे बडे भाई किशनलाल लाऔलाद फौत हो चुके है और अपने हिस्से की वसीयत हममें से जगदीश प्रसाद के नाम कर गये है। इस प्रकार पूरे खाते के मालिक हम तीनों भाई ही है। वसीयत का दाखिला खारिज नहीं हो सका है।" इस प्रकार प्रति0 सं0 1 पूर्वजों द्वारा वादीगण व तरतीवी प्रति0 सं0 2 लगा0 11 के पूर्वज नन्दराम को सम्पूर्ण हिस्से का बेचान किया गया है। प्रस्तुत ExP 1 नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण सं0 3403 दिनांक 03.02.2016 द्वारा विवादित आराजी में सम्पूर्ण हिस्से का अंकन न करके केवल 3/4 हिस्से का अंकन किया गया है। जो कि नियमानुसार गलत है। इसके अलावा प्रति0 सं0 1 का वावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आना भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे में अंकित तथ्यों की स्वीकारोक्ति मानी जा सकती है। इस प्रकार वयनामा तारीखी 10.09.1986 के अनुसार वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 सं0 2 लगा0 11 अपने आपको प्रश्नगत आराजी सम्पूर्ण के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी पाये जाते है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 4684/0–05 बांके कस्वा बाडी नं0 2 तह0 बाडी में जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादी सं0 1 व तरतीवी प्रति0 सं0 2 लगा0 6 हिस्सा 1/12, वादी सं0 6 लगा0 8 तथा प्रति0 सं0 9 लगा0 11 हिस्सा 1/12 व वादी सं0 2 लगा0 5 तथा प्रति0 सं0 7 व 8 हिस्सा 1/12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार वादीगण व तरतीवी प्रति0 सं0 2 लगा0 11 के नाम का अंकन किया जावे। प्रति0 सं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह वादीगण व तरतीवी

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर, राज0

प्रति0 सं0 2 लगा0 11 के कब्जे काश्त की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें। निर्णय के अनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बांडी